न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **289/2018**
GCMS NO. : **2018/00347**

-:: वादी ::- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण ::-**

1. बालू उर्फ बालूसिंह पुत्र जेठा उर्फ जेठासिंह
जाति- दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

1. अमरसिंह पुत्र छैला उर्फ छैलासिंह
2. कानसिंह पुत्र छैला उर्फ छैलासिंह
जाति- दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।
3. सुप्यारकंवर पत्नि रामसिंह
जाति- दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।
4. टीकम सिंह पुत्र जोधासिंह
5. भरतसिंह पुत्र जोधासिंह
जातियान- जाट, निवासीगण- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज०।
6. तहसीलदार, जैतारण जिला- पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 24/12/2018

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री नितेश चौहान, श्री शाकिर हुसैन, श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 26/08/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की सामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि राजस्व निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा 00 बिस्वा व खसरा नम्बर 362 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा, कुल खसरा 02 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा की भूमि आई हुई है जिसमें वादी का 1/3 वां हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का 01/03 वां हिस्सा है। इसी प्रकार शेष 1/3 वां हिस्सा प्रतिवादीगण सख्या 03 का है। उक्त भूमि की चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है । इस भूमि को वादपत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से सुविधा की दृष्टि से जाना जायेगा। यह है कि विवादित भूमि में वादी का 1/3 वां हिस्सा है तथा शेष 2/3 वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का है । उक्त भूमि पर पक्षकारों के बीच संयुक्त व सामलाती है। तथा राजस्य रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। उक्त सामलाती राजस्व रेकर्ड में भूमि दर्ज होने की वजह से प्रतिवादीगण आये दिन इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

भूमि के नाप-चौप सीमा व माठ को लेकर वादीगण से विवाद करते रहे हैं। तथा प्रतिवादीगण अपनी इस संयुक्त व शामलाती भूमि में से विशिष्ट भू-भाग को बैचान, हस्तांतरण भी करना चाह रहे है। जबकि वादीगण अपने हक हिस्से माफिक भूमि पर फसल की निराई गुड़ाई व देखभाल करने जाते है कि उक्त प्रतिवादीगण 01 से 03 वादी से लड़ाई झगड़ा व विवाद करते है इसी क्रम में इसी वर्ष खरीफ की फसल बुवाई व कटाई के दौरान प्रतिवादीगण ने वादी के साथ लड़ाई झगड़ा व विवाद किया था, तब वादी ने प्रतिवादीगण से समझाईश करते हुये फसल कटाई करने के बाद आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवा लेने का कहा था उसके बाद पूरी फसलों से निवृत होने के बाद दिनांक 10.12.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 से अपनी इस सामलाती भूमि का बाई मिस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का काथन किया जिस पर प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना करते हुये यादी से कथन किया उन्होंने सो विशिष्ट भू भाग को बेचान का सौदा भी भू माफियाओं के साथ कर लिया है एवं अब जल्दी रजिस्ट्री करवा देग। तत्पश्चात अजनयी खरीददार जहाँ चाहेगें अपना कब्जा करेगें। ऐसा कथन करते हुये प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करवाने से बचान3 इन्कार कर दिया। जबकि वादी अपनी पैतृक पुश्तैनी इस भूमि का बंटवाड़ा करवाने का विधिक अधिकारी है जिसमें प्रतिवादीगण सहमत नही हो रहे है तब ऐसी परिस्थितियों में वादी के पास यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के बीच संयुक्त व शामलाती है। लेकिन प्रतिवादीगण इस भूमि बिना बंटवाड़ा कराये ही अजनबी केतागण को बेचान करते हुए इस भूमि के विशिष्ट भूभाग पर अजनबी केतागण को कब्जा को आमादा है, तथा इसी नियत से पूर्व में भी सुप्यारकंवर को पंजीबद्ध बेचाननामा भी निष्पादित किया है, एवं ऐसी ही पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर अजनबी क्रेता मौके पर विशिष्ट भूभाग पर अपना कब्जा करने को आमादा होकर के वादी से लड़ाई-झगड़ा व विवाद करने को आमदा है। जबकि इस संयुक्त व शामलाती भूमि के हर इंच व हिस्से पर वादी को स्वामित्व व हक-अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप व दखलंदाजी करने एवं विशिष्ट भू-भाग का बिना बंटवाड़ा कराये बैचान हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होते हुए भी प्रतिवादीगण आमादा हो रहे है। इस प्रकार से उक्त प्रतिवादीगण वादी से लडाई-झगड़ा व विवाद करते हुए वादी को उनकी पैतृक-पुश्तैनी भूमि से बेकाबिज करना चाह रहे है व इसी नियत से दिनांक 10.12. 2018 को ऐलानिया धमकी भी दी है, तथा पूर्व में भी विवाद किया था। इस प्रकार से यदि उक्त प्रतिवादीगण वादी को लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर देते हैं एवं भूमि को बिना बंटवाड़ा कराये अन्य हस्तांतरण कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है, साथ ही वादी इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी[illegible] ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेंगे। जिससे विवाद बढेगा एवं म[illegible] होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अदालत श्रीमान [illegible] के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 04 भूमिधारी राजस्थान सरकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिनिधि हैं जिनके विरुव वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादी का यह वादपत्र अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है दो माह की अवधि पूर्व होने तक प्रतिवादीगण वादी को इस भूमि से पूर्णतया बेदखल कर देंगे। तब ऐसी परिस्थितियों में नोटिस देना डिसपेंन्स विथ कर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। जिसके बाबत् धारा 80(2)सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 10/12/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी से इस भूमि पर फसल बुवाई के दौरान लड़ाई–झगड़ा व विवाद करने एवं वादी को इस भूमि से बेकाबिज कर देने की एलानिया धमकी प्रतिवादीगण द्वारा देने पर बमुकाम निम्बोल तहसील– जैतारण जिला– पाली में पैदा हुआ जो अंदर मियाद एवं अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं।

इस पर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया जो कि सा0 मि0 है।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में व्यक्त किया कि वादपत्र के पद संख्या एक मे वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान् मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र के पद संख्या दो का जबाब है कि मौके पर पक्षकारान् के बीच संयुक्त सामलाती भूमि है तथा राजस्व रेकर्ड मे भी उक्त भूमि सामलाती दर्ज है परन्तु गैरसायलान् उतरदाता द्वारा सायलान् के हक हिस्से व बंट की भूमि कोलेकर किसी प्रकार से विवाद पैदा नही किया है तथा उतरदाता गैरसायलान् किसी विशिष्ठ भू भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करना चाहते है तथा गैरसायलान् द्वारा सायलान् से किसी प्रकार से लडाई झगडा नही करते है तथा सायलान् एवं गैरसायलान् अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर फसल की बुवाई करते चले आ रहे है किसी प्रकार से कोई विवाद नही है तथा सायलान् ने गैरसायलान् को दिनांक 10/12/2018 को बंटवाडा करवाने का कभी नही कहा केवल मात्र वादपत्र करने की गरज से एवं तंग व परेशान करने के उदेश्य से उक्त गलत दिनांक अंकित की अलिहै तथा उत्तरदाता गैरतायलान् माफिक राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर काबिज कारत अनुसार कानूनी बटवाडा करने को सदैव तैयार एवं तत्पर है। अन्य कथन झुठे व अतत्व होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि उत्तरदाता गैरसायलान् द्वारा सायलान् के हक हिस्से अधिकार की भूमि मे किसी पक्षकार से कास्त कब्जे मे हस्तक्षेप व बाधा एवं दखलन्दाजी नही करते है तथा किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा नही है तथा सायलान् को कभी भी बेकाबिज नही करना चाहते है तथा दिनांक 10/12/2018 को उतरदाता गैरसायलान् ने सायलान् को किसी प्रकार से कोई ऐलानिया धमकी नही दी सायलान् ने केवल मात्र वादपत्र करने की नियत से एवं तंग परेशान करने की नियत से एवं कानूनी उलझने पैदा करने की नियत से गलत तथ्यो के आधार पर स्वं बिना किसी–बिनाय के [illegible] प्रस्तुत किया है। सायलान् को कोई अपूर्णिय क्षति नही हो रही है। जबकि गैरसायलान् [illegible] पूर्ण रूप से क्षति होने की संभावना है क्योकि सायलान् उक्त भूमि के कीमती भू भाग पर काबिज होकर बंटवाडा करवाने को आमादा है यदि सायलान् मौके पर काबिज काश्त अनुसार कानूनी बंटवाडा करवाना चाहते है तो गैरसायलान् की इसमे पूर्ण सहमति व स्वीकारोक्ति है। वादपत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पद 04 कानूनी है गौर अदालत बाला के है। वादपत्र के पद संख्या 05 बिनाय वाद बाबतत् है वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होता हैं। वादपत्र के पद संख्या 06 मालीयात वाद बाबत् है जो कानूनी होने से गौर अदालत बाला के है। वादपत्र के पद संख्या सात वादीगण की इस्तदुआ है तथा वादीगण माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से एवं मौके पर काबिज काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाना चाहते है तो उसमें प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति व स्वीकारोक्ति है मौके पर काबिज काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा किया जाता है तो उसमें उत्तरदाता प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। वकील मय प्रार्थीगण टीकम सिंह पुत्र जोधासिंह व भरतसिंह पुत्र जोधासिंह जाति जाट निवासी निम्बोल कि ओर से प्रार्थना आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का पेश हुआ, वाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किये गये। प्रकरण में प्रार्थीगण टीकमसिंह पुत्र जोधा सिंह एवं भरतसिंह पुत्र जोधा सिंह जातियान जाट निवासी निम्बोल की ओर से मय अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी का पेश किया गया, बाद सुनवाई के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थीगण को प्रतिवादी 04 व 05 संयोजित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 04 व 05 की और से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने जवाब दावा में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 का जवाब है कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा व ख0नं0 362 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा स्थित है सही है। उक्त कृषि भूमि मे राजस्व रेकर्ड मे 1/3 हिस्सा का खातेदार वादी, 1/3 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 3 व शेष 1/3 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 थे जिन्होने अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की सम्पूर्ण कृषि भूमि को दिनांक 10/01/2019 को प्रतिफल की राशि सम्पूर्ण रोकड प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 से प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड बेचान के हस्तान्तरण कर दी और वक्त बेचान के उक्त भूमि का जिस जगह पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 काबिज थे उन्होने मौके पर भौतिक रूप से कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को सुपुर्द कर दिया व वक्त खरीद से मौके पर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 1/3 हिस्से पर काबिज है व खातेदार है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का पक्षकारान को मध्य केवल मात्र राजस्व रेकर्ड मे बंटवारा नहीं हो रखा है परन्तु मौके पर शुरू से ही अपने अपने हक हिस्से पर पक्षकारान काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति व समझाईस से बंटवाडा हो रखा है जिसका नजरी नक्शा मौके पर पक्षकारान् काबिज है का इस जवाब वादपत्र के साथ पेश है जो जवाब वादपत्र का एक भाग माना जाये। बेचानकर्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 शुरू से ही खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण भूमि पर तथा ख0नं0 362 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा मे से 1 बीघा 6 बिस्वा कुल 11 बीघा 6 विस्वा पर काबिज थे जो उक्त हक हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को बेचान कर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से लेकर आज दिन तक उपरोक्त अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के हक हिस्से व मौके की जमीन के चारो और तारबन्दी कर रखी है और इसी अनुरूप वादी जो खसरा नम्बर 362 की भूमि में से 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर काबिज है जिस पर वादी ने भी अपने हक हिस्से की भूमि पर तारबन्दी कर रखी है तथा शेष 1/3 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 3 सुप्यारकंवर ख0नं0 362 मे 11 बीघा 06 बिस्वा पर काबिज है। पक्षकारान विवादित आराजी पर मौके पर जिस अनुरूप काबिज है उसका नजरी नक्शा जवाब वादपत्र के साथ पेश है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 अपने हिस्से ख0न0 361 रकबा 10 बीघा सम्पूर्ण व ख0न0 362 में से 01 बीघा 06 बिस्वा यानि कुल 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर काबिज है जिसको नजरी नक्शे म पीले रंग से दर्शाया गया है तथा वादी शुरू से ही खसरा नम्बर 362 में 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर काबिज है जिसे नजरी नक्शे मे आसमानी रंग से दर्शाया गया है और प्रतिवादीगण संख्या 03 सुप्यारकंवर ख0न0 362 में से से 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर काबिज है जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है। इस प्रकार पक्षकारान् के मध्य जो शुरू से ही बंटवाडा होकर जा पक्षकार जिस भूमि पर जिस हिस्से पर काबिज है जो नक्शा प्रतिवादीगण अनुसार राजस्व रेकर्ड मे कानूनन बंटवाडा किया जावे। वादपत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि विवादित आराजी संयुक्त एवं सामलाती नही है बल्कि मौके पर शुरू से ही बंटी हुई है और पक्षकारान् माफिक प्रतिवादीगण के नजरी नक्शे अनुसार काबिज है और अपने अपने हक हिस्से की भूमि के चारो और तारबन्दी कर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 द्वारा 1/3 हिस्से की भूमि खरीद के पूर्व से ही पक्षकारान् आपसी सहमति से ही मौके पर आपस मे बंटवाडा कर काबिज है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड मे बंटवाडा नही हो रहा है, जो प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 द्वारा जवाब वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड मे भी वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि का कानूनी बंटवाडा कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जावे। वादी द्वारा इस पद में यह लिखना कि प्रतिवादीगण लडाई झगडा व विवाद करते है तथा दिनाक 10/12/2018 को वादी ने प्रतिवादीगण से अपनी शामलाती भूमि का बाई मिटस् एण्ड दाउण्डस के बंटवाडा करने का कथन किया कतई गलत व नामंजूर है क्योकि पक्षकारान् के मध्य शुरू से ही आपसी सहमति से विवादित आराजी का मौके पर बंटवाडा कर काबिज है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 ने अपने अपने हक हिस्से व बंट की भूमि के चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है। इसलिए इस पद मे वर्णित तमाम कथन गलत झुठ व वादपत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम कथन वादी ने गलत, झूठे व आधारहीन प्लीड किये है। इसलिए प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से नामंजूर करते है विवादित आराजी केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में सामलाती है परन्तु मौके पर सभी पक्षकारान् के मध्य विभाजित हो रखी है। पक्षकारान के मध्य हक हिस्से व मौके पर काबिज होने के आधार पर कभी कोई वाद विवाद, लडाई झगडा बोलचाल नही हुआ है वादी ने केवल मनगढन्त तथ्य प्लीड कर जबरन यह वादपत्र पेश किया है। विधि का यह सुस्पष्ट प्रावधान है कि एक खातेदार अन्य सहखातेदार के विरुद्ध कोई भी निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त नही कर सकता हकदार नही होता है एक खातेदार काबिज काश्तकार को उसके हक हिस्से की खातेदारी भूमि से उपयोग उपभोग करने से निषेधाज्ञा जारी कर वंचित नही किया जा सकता है इसलिए इस आधार से भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SetAttest

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादी कोई भी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का हकदार नही है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि प्रतिवादीगण संख्या 04 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस जाकर ही वादपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है नोटिस के अभाव में भी वादी का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे। वादपत्र के पद संख्या 5 बिनाय वाद बाबत् है वादी को प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के विरुद्ध कोई बिनाय वाद उत्पन्न नही होता है वादी ने झूठी व मन गढन्त वादपत्र करने की गरज से बिनाय वाद की तारीख अंकित की है बिनाय वाद के अभाव मे भी वादी का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। वादपत्र के पद संख्या 06 मालीयत वाद बाबत् है जो कानूनी होनें से गौर अदालत बाला के है। वादपत्र के पद संख्या 07 वादी की इस्तदुआं है जो वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। विशेष विवरण में गैरसायलान् द्वारा जवाब दावा के मुख्य अंश को ही जाहिर किया गया है। प्रतिवादी संख्या 03 जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते है, जवाब दावा बन्द किया जाता है। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी सहमति से जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करने की प्राथमिक डिक्री का आदेश जारी फरमावें। उभयपक्ष अधिवक्ता ने सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर किये।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर कर मनन किया गया। जिसे यह स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 क्रमशः अमरसिंह एवं कानसिंह पुत्र छैला द्वारा अपने हक 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का बैचान प्रतिवादी संख्या 04 व 05 क्रमशः टीकमसिंह एवं भरतसिंह पुत्र जोधासिंह के हक में कर दिया गया है लेकिन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में स्थगन होने से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हो सका, अतः प्रतिवादीगण अमरसिंह एवं कानसिंह के स्थान पर प्रतिवादीगण एवं क्रेता टीकमसिंह एवं भरतसिंह के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जाकर भू-अभिलेख को अद्यतन करते हुए नवीनतम जमाबन्दी अंकन के अनुरूप माफिक राजस्व रेकर्ड खातेदारान के मध्य अपने अपने हक हिस्से के अनुरुप कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करते हुए खाता एवं लगान विभाजन हेतू प्राथमिक डिक्री की जाकर बंटवाड़ा किया जाना हम विधि संगत एवं उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा 00 बिस्वा व खसरा नम्बर 362 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से व ... का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता ... अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1085 दिनांक 04/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/371 दिनांक 05/02/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा 00 बिस्वा व खसरा नम्बर 362 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा
1	बालू उर्फ बालूसिंह पुत्र जेठासिंह कौम– दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी– निम्बोल, सा0 देह खातेदार	362/1	11–06
2	सुप्यारकंवर पत्नी रामसिंह कौम– राजपूत सा0 देह खातेदार	362/2	11–06
3.	टीकम सिंह पुत्र जोधासिंह, भरतसिंह पुत्र जोधासिंह कौम–जाट, निवासीगण– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, सा0 देह खातेदार।	361	10–00
		362	01–06
		योग–2	11–06

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादी ::-

1. बालू उर्फ बालूसिंह पुत्र जेठा उर्फ जेठासिंह जाति- दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण ::-

1. अमरसिंह पुत्र छैला उर्फ छैलासिंह
2. कानसिंह पुत्र छैला उर्फ छैलासिंह जाति- दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।
3. सुप्यारकंवर पत्नि रामसिंह जाति- दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।
4. टीकम सिंह पुत्र जोधासिंह
5. भरतसिंह पुत्र जोधासिंह जातियान- जाट, निवासीगण- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।
6. तहसीलदार, जैतारण जिला- पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 289/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री नितेश चौहान, श्री शाकिर हुसैन, श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 361 रकबा 10 बीघा 00 बिस्वा व खसरा नम्बर 362 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा
1	बालू उर्फ बालूसिंह पुत्र जेठासिंह जाति- दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी- निम्बोल।	362/1	11-06
2	सुप्यारकंवर पत्नी रामसिंह कौम- राजपूत सा0 देह खातेदार	362/2	11-06
3.	टीकम सिंह पुत्र जोधासिंह, भरतसिंह पुत्र जोधासिंह कौम-जाट, निवासीगण- निम्बोल, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।	361	10-00
		362	01-06
		योग-2	11-06

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/08/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	– 00	स्टाम्प वकालतनामा	03	– 00
स्टाम्प वकालतनामा	01	– 00	स्टाम्प अर्जी	01	– 00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान	/	
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	03	– 00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	07	– 00	मिजानः–	04	– 00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested